

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई करवाई के बारे में टिप्पणी ,तारीख के साथ 3
---	-------------------------------------	--

28/12/11

न्यायालय- अनुमण्डल दण्डाधिकारी, अरवल ।

वाद सं- 694/ 11, धारा- 145 द0प्र0सं0

305/11

केशव सिंह ----- प्रथम पक्ष

बनाम

देव नारायण पासवान वगैरह----- द्वितीय पक्ष

आदेश

उक्त वाद की कार्यवाही प्रथम पक्ष के
दाखिल आवेदन के आलोक में आरम्भित किया
गया । उभय पक्ष को प्रश्नगत खाता- 311
196

प्लॉट ----- 1734, रकबा- 4 डी0 एवं

1301

02 डी0, चौहद्दी आवेदनानुसार, अवीस्थित

मौजा- सघई, थाना- कुर्था, जिला- अरवल की

भूमि पर कब्जे को लेकर अपना- अपना ब्यान-

तहरीर प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया ।

तामीलोपरान्त उभय पक्ष न्यायालय के समक्ष

उपस्थित । प्रथम पक्ष द्वारा ब्यान-तहरीर

निष्कर्ष पर 42 दिनांक 4.2.12
आदेश जारी
दिनांक सं- 65 दिनांक 15/12/12

आदेश की क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ 3
---	-------------------------------------	---

-2-

समर्पित परन्तु द्वितीय पक्ष लगातार समय दिये जाने के बावजूद न्यायालय में उचित पैरवी नहीं किये और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये ।
द्वितीय पक्ष के लगातार अनुपस्थिति के कारण वाद की कार्रवाई एकपक्षीय करते हुए प्रथम पक्ष को साक्ष्य लाने का निर्देश दिया गया ।

गवाही उपरान्त प्रथम पक्ष को सुना ।

प्रथम पक्ष का कथन है कि उक्त प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष की खरीदगी भूमि है जिसे प्रथम पक्ष ने गाँव के ही सरयू प्रसाद सिंह, पिता- स्व. राम रक्षया प्रसाद सिंह, साकिन-मौजा-सर्पई, धाना- कुर्था से दिनांक- 15/ 3/ 1985 को बजरीये रजिस्ट्री केवाला बैला कलामी के माध्यम से ख़रिद किया एवं खरीदगी के बाद से ही उक्त प्रश्नगत भूमि पर शांतिपूर्ण दखल-कब्जा है। प्रथम पक्ष ने रजिस्ट्री केवाला का दस्तावेज दिखाया ।

11/01/85

